हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
"सामान्य प्रशासन शाखा"

...

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद की वर्ष, 2012 की प्रथम बैठक की कार्यवाही जो दिनांक 31 जनवरी, 2012 को अपराह्न 12–30 बजे आचार्य ए0डी0एन0 वाजपेयी, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई । बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुए :–

1– प्रो0 ओ0पी0 चौहान
2– प्रो0 श्रीराम शर्मा
3– डॉ0 बी0एल0 विन्टा
4– डॉ0(श्रीमती) उमा वर्मा
5– चौ0 वरयाम सिंह बैन्स
6– सुरेश भारद्वाज
7– डॉ0 धनी राम शर्मा
8– श्री एन0एस0 बिष्ट
9– श्री सी0पी0 वर्मा –कुलसचिव
सदस्य–सचिव

मद संख्याः 1: कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

....

कार्यकारिणी परिषद की वर्ष 2012 की प्रथम बैठक में, मैं आप सब सम्माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूँ ।

डॉ0(श्रीमती) पंकज के0 सिंह, आचार्य, अंग्रेजी विभाग जो बतौर अधिष्ठाता, भाषा संकाय कार्यकारिणी परिषद की सदस्या थीं का परिषद के सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त हो चुका है । डॉ0(श्रीमती) पंकज के0 सिंह का कार्यकारिणी परिषद को निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसके लिए मैं अपनी और परिषद की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ ।

डॉ0(श्रीमती) उमा वर्मा, प्रधानाचार्या, राजकीय महाविद्यालय, सुन्नी जिन्हें शैक्षणिक परिषद ने कार्यकारिणी परिषद में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है, का उनका परिषद की इस प्रथम बैठक में हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ और आशा करता हूं कि वे अपने शैक्षणिक व प्रशासनिक अनुभव से कार्यकारिणी परिषद को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपना पूर्ण योगदान देंगी।

परिषद ने पूर्व कुलपति डॉ0 कैलाश चन्द मल्होत्रा के आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट किया ।

मैं परिषद को अवगत करवाना चाहता हूँ कि डॉ0 मल्होत्रा के आश्रितों इवा मल्होत्रा और राहुल शर्मा द्वारा कैलाश–हरबंस–मैमोरियल ट्रस्ट के लिए 1.5 करोड़ रूपये की धन राशि उपलब्ध करवाई गई जिसके लिए मैं अपनी और परिषद की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूँ ।

मैं सम्माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूँ कि अनुबन्ध आधार पर लिपिकों की भर्ती हेतु प्रक्रिया प्रगति पर है और फरवरी माह में लिपिकों की नियुक्तियां कर दी जाएंगी ।

मैं सभी सम्माननीय सदस्यों को अवगत करवाना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय के उन्नीसवें दीक्षांत समारोह का 12 दिसम्बर, 2011 को सफल आयोजन किया गया । जिसमें 141 विद्या वाचस्पति उपाधियां, 123 पदक, 04 मानद उपाधि, और 01 डी0लिट0 की उपाधि प्रदान की गई ।

मैं परिषद को यह भी बताना चाहता हूँ कि स्नातक स्तर की अनुपूरक परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं । मार्च, 2012 में आयोजित होने वाली स्नातक स्तर की परीक्षाओं का कार्य प्रगति पर है ।

अब मैं कुलसचिव महोदय से प्रार्थना करता हॅं कि वे वैठक की कार्यसूची परिषद के समक्ष प्रस्तुत करें ।

मद संख्याः 2: कार्यकारिणी परिषद की पिछली बैठक दिनांक 29–11–2011 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण।

....

कार्यकारिणी परिषद ने दिनांक 29–11–2011 की बैठक में लिए गए निर्णयों को निम्नलिखित संशोधन कर अनुमोदित कर दियाः–

(2)(अन्य मद–(III): परिषद ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय से वाहर जाने वाले शिक्षकों/विशेषज्ञों तथा विश्वविद्यालय के कार्य से टैक्सियां किराये पर लेकर आने वाले शिक्षकों/विशेषज्ञों को रास्तें में लिये जाने वाला किसी भी प्रकार का कर रसीद पेश करने पर देय होगा ।

मद संख्याः11: कार्यकारिणी परिषद ने दिनांक 29–11–2011 की बैठक में प्रस्तुत किए गए अधिवक्ताओं के पैनल तथा एक आवेदन जो श्री गौरव शर्मा, अधिवक्ता से प्राप्त हुआ है को इसमें शामिल कर माननीय कुलपति को जिला न्यायालय/ उपभोक्ता न्यायालय में श्री राजेश कुमार अधिवक्ता को हटाकर उनके स्थान पर विश्वविद्यालय का कानूनी सलाहकार नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया ।

मद संख्याः16(28): कार्यकारिणी परिषद ने कुलपति महोदय द्वारा नयी पीठ, नये विभाग, केन्द्र व नये पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए गठित समिति दिनांक 8–11–2011 की सिफारिशों जिसे शैक्षणिक परिषद ने दिनांक 24–11–2011 को हुई बैठक में स्थगित कर दिया था को कार्यकारिणी परिषद ने सैद्धान्ति रूप से अनुमोदित कर दिया तथा यह निर्णय लिया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात इसे विस्तृत विवरण सहित शैक्षणिक परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए ।

मद संख्याः 3: कार्यकारिणी परिषद की बैठक दिनांक 29.11.2011 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही का विवरण ।

....

नोट कर अनुमोदित किया ।

मद संख्याः 4: कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–12–सी (7)के अर्न्तगत लिए गए निर्णयों से अवगत करवाना।

.....

उपरोक्त शक्ति के अन्तर्गत कुलपति महोदय ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

मद संख्याः 5: कार्यकारिणी परिषद के माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त हुई है।

....

माननीय सदस्य डॉ0 बी0एल0 विन्टा ने राजकीय महाविद्यालय, हरिपुरधार की सम्बद्धता का मुद्दा परिषद के समक्ष उठाया जिस पर परिषद ने विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया कि राजकीय महाविद्यालय, हरिपुरधार को अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाए ताकि विद्यार्थियों को आगामी वार्षिक परीक्षा के लिए रोल नम्बर जारी किए जा सकें । इस दौरान प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय, हरिपुरधार आवश्यक नियमों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर अगले सत्र तक सम्बद्धता प्राप्त कर लें । परिषद ने कहा यदि सम्बद्धता प्रदान करने से सम्बन्धित किसी अन्य राजकीय महाविद्यालय का कोई ऐसा मामला विश्वविद्यालय में आया हो तो इस पर इसी आधार पर सम्बद्धता प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए ।

मद संख्याः 6: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एवं हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षाएं करवाने के प्रयासों के अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु ।

......

अनुमोदित ।

मद संख्याः 7: अधिसूचना दिनांक 9–1–2002 के अन्तर्गत पारिश्रमिक राशि मु0 64,792/–रूपये की व्यय स्वीकृति और अधिसूचना दिनांक 19–7–2002 के अनुसार तय सीमा से बाहर देय पारिश्रमिक की छूट प्रदान करने हेतु ।

.....

अनुमोदित ।

मद संख्याः 8: कार्यकारिणी परिषद की बैठक दिनाक 25–6–2011 द्वारा गठित की गई समिति की कार्यवाही/सिफारिशों को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष रखने बारे ।

......

विश्वविद्यालय के अधिकारियों को पूर्व की तरह यू0जी0सी0 वेतनमान देने हेतु परिषद ने दिनांक 25–6–2011 को गठित समिति की दिनांक 21–9–2011 तथा 5–11–2011 की अनुलग्नक

सिफारिशों को इस शर्त के साथ स्वीकार किया कि इस पर अन्तिम निर्णय प्रदेश सरकार के स्तर पर होना है अतः उक्त मामले को प्रदेश सरकार के पास भेजा जाये और प्रदेश सरकार के निर्णय को अन्तिम माना जाये ।

मद संख्याः 9: हिमाचल प्रदेश संयुक्त पूर्व चिकित्सा प्रवेश परीक्षा–2012(एच.पी.–सी.पी.एम.ई.टी.–2012) के आयोजन के लिए गठित समिति की बैठक दिनांक 17–1–2012 की कार्यवाही/संस्तुति कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

.....

परिषद ने हिमाचल प्रदेश संयुक्त पूर्व चिकित्सा प्रवेश परीक्षा–2012(एच.पी.–सी.पी. एम.ई.टी.–2012) के आयोजन हेतु गठित समिति की सिफारिशों को **अनुलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया । तथापि परिषद ने परीक्षा समाप्ति के बाद विद्यार्थियों को प्रश्नपत्र –पुस्तिका न देने के उपरोक्त समिति के निर्णय पर विस्तार से चर्चा की । डॉ0 धनी राम शर्मा ने कहा कि आज के युग में हर क्षेत्र में पारदर्शिता लाई जा रही है और विद्यार्थियों को अपने उत्तर जॉचने के लिए भी प्रश्नपत्र–पुस्तिका की आवश्यकता रहती है, जिसका दूसरे सदस्यों ने भी समर्थन किया । इसके उपरान्त परिषद ने इस मामले पर गहन विचार–विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया कि परीक्षा समाप्ति के पश्चात प्रश्नपत्र–पुस्तिका विद्यार्थियों को सौंप दी जाए ।

मद संख्याः 10: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वित्त समिति की दिनांक 18–10–2011 व 9–12–2011 को सम्पन्न हुई बैठक की सिफारिशों को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत किया जाता है ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने वित्त समिति की दिनांक 18–10–2011 व 9–12–2011 को हुई बैठक की सिफारिशों को अनुलग्नक के अनुरूप निम्नलिखित टिप्पणी के साथ अनुमोदित कर दिया :–

(मद संख्या–4): माननीय सदस्य चौ0 वरयाम सिंह बैन्स ने यह सुझाव रखा कि जब तीन पदों का सृजन हो चुका है तो चौथा पद भी सृजित होना चाहिए था जिस पर एक अध्यापिका पहले से ही कार्यरत है और वह सभी प्रकार की योग्यताएं रखती है ।

(मद संख्या–9 व 10): माननीय सदस्य चौ0 वरयाम सिंह बैन्स ने इस सम्बन्ध कर्मचारी शिकायत निवारण समिति की दिनांक 21–10–2011 की कार्यवाही की प्रति प्रस्तुत की, जो संलग्न है तथा इस बात पर बल दिया कि क्रमोन्नति न्यायोचित है क्योंकि कार्यकारिणी परिषद इस मामले में पहले ही स्वीकृति दे चुकी है और धारा–35 ए हट जाने के पश्चात इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी हो जाने चाहिएं ।

(मद संख्या–11): माननीय सदस्य चौ0 वरयाम सिंह बैन्स ने इस सम्बन्ध में कहा कि अन्तरर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र (ICDEOL) द्वारा संचालित नोएडा स्थित एल0आर0सी0 में पूर्ण रूप से प्रशासनिक कार्य होना चाहिए जिसके लिए निदेशक/मानद निदेशक एवं सहायक कुलसचिव आदि पदों को सृजित करने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त अनुभाग अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक

के पदों के सृजन हेतु परिषद ने मंजूरी दे रखी है अतः इसे पुनः विचार हेतु वित्त समिति के समक्ष रखा जाए ।

डॉ0 धनी राम शर्मा, श्री एन0एस0 विष्ट, डॉ0 ओ0पी0 चौहान तथा अन्य माननीय सदस्यों ने चौ0 वरयाम सिंह बैन्स द्वारा उठाये गये उपरोक्त मुद्दों का समर्थन किया और कहा कि जब हमारे पास आधारभूत ढांचा मौजूद हैं तो हमें नोएडा स्थित केन्द्र को प्रशासनिक तौर पर सुदृढ़ किया जाए तथा वहां कुछेक जरूरी पाठ्यक्रम सैल्फ फाइनैंसिंग योजना के तहत शुरू करने चाहिएं । इसके अतिरिक्त सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय के और क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र भी खोले जाएं ।

इस पर माननीय कुलपति महोदय ने आश्वासन दिया कि उपरोक्त मदों को दोबारा वित्त समिति के समक्ष रखा जाएगा ।

<u>मद संख्याः 11:</u> पूर्व में लिए गए निर्णयानुसार (मद संख्या–19 दिनांक 30–9–2005) निर्धारित 15 प्रतिशत/7.5 प्रतिशत पैन्शन एवं ग्रैच्युटी अंशदान को बढ़ाकर 30 प्रतिशत/15 प्रतिशत करने हेतु कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्ताव ।

......

अनुमोदित ।

<u>मद संख्याः 12:</u> विभिन्न स्नातक/स्नातकोत्तर/व्यवसायिक इत्यादि परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्र अधीक्षक व उप अधीक्षक की नियुक्ति हेतु नवीन नियमों की संरचना हेतु प्रस्ताव ।

......

सभी राजकीय तथा गैर–राजकीय महाविद्यालयों में परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्र संचालन हेतु अधीक्षक तथा उप–अधीक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा ही की जायेगी, जो सम्बन्धित महाविद्यालय से नहीं होगी । राज्य से बाहर बनने बाले परीक्षा केन्द्रों के लिए नामों की अनुशंसा निदेशक, अन्तरर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र द्वारा की जाएगी । परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि प्रधान सचिव(शिक्षा) से अनुरोध किया जाए कि वे सभी राजकीय महाविद्यालयों को यह आदेश जारी करवाएं कि परीक्षा संचालन हेतु जो कार्य विश्वविद्यालय उन्हें देगा, वे उसका अनुपालन करें ।

<u>मद संख्याः 13:</u> कार्यकारिणी परिषद के समक्ष डॉ0 बी0एल0 बिन्टा, प्रधानाचार्य व सदस्य कार्यकारिणी परिषद द्वारा अध्यापक कल्याण निधि के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना बारे ।

....

अनुमोदित । इसके अतिरिक्त परिषद ने यह निर्णय लिया कि अध्यापक कल्याण निधि से दी गई राशि के आगे राशि प्रदान करने की तारीख भी दर्शाई जाए तथा मामला परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए ।

मद संख्याः 14: श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट, बैज्ञानिक (ई.) टी.बी.आर.एल. चण्डीगढ़ को दो शोधपत्र प्रकाशित करने के पश्चात संशोधन से पहले नियमावली की धारा 16.12 में दिए गए प्रावधान के अन्तर्गत पी.एच.डी. (भौतिकी) में प्रवेश बारे मसौदा कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

.....

अनुमोदित ।

मद संख्याः 15: विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद के समक्ष श्री राकेश राठौर, विद्यार्थी, एम.फिल. भौतिकी, सत्र 2009–2010 को एम.फिल. का शोधकार्य निर्धारित समय के पश्चात जमां करवाने बारे कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने रू0 5000/– जुर्माने के साथ श्री राकेश राठौर को एम. फिल. का शोधकार्य 31 मार्च, 2012 तक जमां करवाने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की, क्योंकि शैक्षणिक परिषद ने अपनी पिछली बैठक में मद संख्या–8 दिनांक 24–11–2011 में ऐसे मामले में यह निर्णय लिया था । परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि एल.एल.एम. और पी.एच.डी. शोधकार्य निर्धारित अवधि के पश्चात जमां करवाने के लिए दी गई समय अवधि के अनुसार जुर्माना निर्धारित किया

जाए ।

मद संख्याः 16: हिमाचल प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क (एच.पी.स्टैप) तथा इसमें कार्यरत कर्मचारियों का विश्वविद्यालय में विलय का मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत है ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने विस्तार से चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया क्योंकि प्रदेश सरकार ने उक्त मामले में स्वीकृति प्रदान की है लेकिन क्योंकि भविष्य में भी इसी प्रकार के प्रकरणों का कार्यकारिणी परिषद के सम्मुख आने की आशंका रहेगी जिससे विश्वविद्यालय पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा तथा अनावश्यक कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है अतः यह निर्णय लिया कि एच.पी.स्टैप के विश्वविद्यालय में विलय की स्वीकृति दी जाती है परन्तु विज्ञान एवं तकनीकी उद्यमिता पार्क (एच.पी.स्टैप) में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन, पैन्शन तथा अन्य आवर्ती खर्चे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वहन किए जाने के लिए प्रकरण प्रदेश सरकार के पास प्रेषित किया जाये और इस हेतु आवश्यक अनुदान प्राप्त किया जाये । इसके अतिरिक्त एच.पी.स्टैप में कार्यरत कर्मचारियों को विश्वविद्यालय की मुख्य स्थापना/वरिष्ठता से बाहर रख कर इन्हें एक्स–कैडर माना जाएगा ।

मद संख्याः 17: बी0बी0ए0/बी0सी0ए0/स्नातक कक्षाओं का परीक्षा परिणाम संशोधित करने के बारे में यथानिर्देश कार्यकारिणी परिषद की स्वीकृति लेना वांछित है ।

....

अनुमोदित । परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि समस्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को दिशा–निर्देश जारी किए जाएं कि भविष्य में आन्तरिक मूल्यांकन में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाएगा ।

मद संख्याः 18: To place before the Executive Council the matter to consider the duty period between termination and re-instatement of services in respect of Dr. Kuldeep Agnihotri, Director(Retd.) University Regional Centre, Dharamshala either for making payment of salary and allowances in cash or on notional basis.

......

परिषद ने डॉ0 कुलदीप अग्निहोत्री, निदेशक (सेवानिवृत्त) विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्र, धर्मशाला की बर्खास्तगी से वहाली तक की अवधि को वेतन, वेतनबृद्धि, ग्रैच्युटी तथा सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नोशनल आधार पर सेवा अवधि मानने बारे अपनी स्वीकृति प्रदान की । परिषद ने इस प्रकार के श्री अजय श्रीवास्तव के मामले को इसी आधार पर निपटाने का निर्णय लिया ।

मद संख्याः 19: विश्वविद्यालय में संसाधनों की बढ़ौतरी से सम्बन्धित **Resource Mobilization Committee (RMC)** की सिफारिशों को लागू करने हेतु ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने संसाधन जुटाने हेतु समिति की सिफारिशों पर विस्तार से चर्चा करने के उपरान्त प्रथम दृष्टया सहमति प्रदर्शित की । परन्तु क्योंकि समिति की सिफारिशों की प्रति सभी माननीय सदस्यों को पहले उपलब्ध नहीं हो पाई थी अतः उनकी विस्तृत टिप्पणियों हेतु संसाधन एकत्रीकरण समिति (RMC) की प्रतियां उन्हें उपलब्ध करवाई जायें, ताकि माननीय सदस्य अपनी प्रतिक्रियाएं विस्तार से उस पर दे सकें तथा इस विषय पर कार्यकारिणी परिषद की विशेष बैठक आयोजित कर अन्तिम निर्णय लिया जा सके ।

मद संख्याः 20: विश्वविद्यलाय के अन्तरर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र में सम्पादक के एक पद को सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए नियमों में एक बार छूट देने हेतु भर्ती एवं पदोन्ननति नियमों में संशोधन करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत है ।

....

विश्वविद्यलाय के अन्तरर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र में सम्पादक के एक पद को सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए नियमों में एक बार (one time) छूट देने के लिए स्वीकृति प्रदान की । परिषद के समक्ष भर्ती एवं पदोन्नति नियम में निम्नलिखित प्रस्तावित संशोधित प्रस्तुत

किया गया :–

Proposed Amendment
The existing Sub-rule (xxiv-b),(xxiv-c) & (xxv) of Rule-10 of Himachal Pradesh University Ministerial and Administration Services (Recruitment, Promotion and Certain Conditions of Service) Rules, 1973 shall be substituted, namely:- **(xxiv-b) SUB-EDITOR-** Master's degree in any subject with atleast 50% marks and Bachelor degree in Journalism and Mass Communication from the recognized Indian Universities or Foreign degree equivalent thereof. **(xxiv-c) ASSISTANT EDITOR**- Master's degree in any subject with atleast 50% marks and Bachelor degree in Journalism and Mass Communication from the recognized Indian Universities or Foreign degree equivalent thereof. **(xxv) EDITOR-** Master's degree in any subject with atleast 50% marks and Bachelor degree in Journalism and Mass Communication from the recognized Indian Universities or Foreign degree equivalent thereof.

उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन पर परिषद ने विस्तार से चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया कि यदि उपरोक्त संशोधन प्रदेश सरकार के जन सम्पर्क विभाग में निहित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार हैं तो इसे लागू किया जाए ।

मद संख्याः 21: कार्यकारिणी परिषद को उन्नीसवें दीक्षांत समारोह के कार्योत्तर के बारे में अबगत करवाने हेतु ।

.....

नोट कर अनुमोदित किया । परिषद ने दीक्षांत समारोह के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए माननीय कुलपति महोदय, कुलसचिव तथा अन्य अध्यापकों/प्रशासनिक अधिकारियों/ कर्मचारियों की प्रशंसा की ।

मद संख्याः 22: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष जुलाई के बाद घोषित परिणामों का विवरण ।

.....

नोट कर अनुमोदित किया ।

मद संख्याः 23: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश के निर्देशानुसार अन्तरर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग में सहायक आचार्यों की नियुक्ति हेतु दिनांक 23 व 24 सितम्बर, 2010 को आयोजित साक्षात्कार की चयनसमिति की सिफारिशें प्रस्तुत करने बारे ।

......

सभापति ने चयन समिति की सिफारिशों को परिषद में पढ़ कर सुनाया । सिफारिशें

निम्न प्रकार से हैं :–

शिक्षा विभाग (इक्डोल) सामान्य श्रेणीः

1. डॉ0 विशाल सूद
2. डॉ0 अजय कुमार अत्री
3. डॉ0 सुरेन्द्र कुमार शर्मा
4. डॉ0 कुलदीप सिंह कटोच

अनुसूचित जाति :

1. डॉ0 चमन लाल

अनुसूचित जनजाति :

कोई भी प्रार्थी योग्य नहीं पाया गया ।

अन्य पिछड़ा वर्ग :

कोई भी प्रार्थी योग्य नहीं पाया गया ।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों का अनुमोदन किया ।

मद संख्याः 24: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश के निर्देशानुसार विभिन्न शिक्षक व गैर–शिक्षकों के रिक्त पदों को तीन माह के भीतर भरे जाने की प्रक्रिया हेतु ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने इस निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया ।

अन्य मदें :–

श्री सुरेश भारद्वाज

माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज ने विश्वविद्यालय पुस्तकालय में कार्यरत कर्मचारियों का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें कि सहायक पुस्तकाध्यक्ष की पदोन्नति के लिए पदोन्नति कोटा 75 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत करने का निवेदन किया है, माननीय सदस्य ने यह भी कहा जैसे विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव की श्रेणी तक भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में 100 प्रतिशत पदोन्नति का नियम हैं के आधार पर सहायक पुस्तकाध्यक्ष की पदोन्नति के नियमों में भी संशोधन किया जाए । श्री भारद्वाज द्वारा उठाए गए मुद्दे का चौ0 वरयाम सिंह बैन्स ने भी पूरा समर्थन किया, जिस पर निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव पूर्ण परीक्षण उपरान्त परिषद की अगली बैठक में रखा जाए ।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने श्री दिनेश कुमार, प्रूफ रीडर का अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया जिसमें श्री दिनेश कुमार ने अन्तरर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र में खाली पड़े सम्पादक के पद पर पहले से चली आ रही प्रथा के अनुसार उप–सम्पादक तथा प्रूफ रीडर से भरने का अनुरोध किया है । अतः इसका भी परीक्षण किया जाए ।

डॉ0 धनी राम शर्मा

माननीय सदस्य डॉ0 धनी राम शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय दिल्ली व चण्डीगढ़ में अपने अतिथि गृह का निर्माण करे ताकि विश्वविद्यालय के कार्य से बाहर जाने बाले शिक्षक व गैर–शिक्षक कर्मचारियों को वहां ठहरने में कोई असुविधा न हो ।

श्री एन0एस0विष्ट

माननीय सदस्य श्री एन0एस0 विष्ट ने कहा कि अध्यापकों की कमी को देखते हुए पी0एचडी0 शोधकार्यों में महाविद्यालयों के पात्र–अध्यापकों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाए ताकि शोधकार्य सुचारू रूप से किये जा सकें । श्री विष्ट के इस कथन का डॉ0 बी0एल0विन्टा तथा डॉ0 (श्रीमती) उमा वर्मा ने भी समर्थन किया । अतः परिषद ने इसे सर्वसम्मति से अपनी सहमति प्रदान कर दी । श्री विष्ट ने कहा कि दृष्टिपत्र–2020 में सुझाये गये पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक प्रक्रिया को पूर्ण कर इन्हें सायंकाल सत्र में कला भवन में शुरू किया जाए ।

इसके अतिरिक्त श्री विष्ट ने यह भी कहा कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित विभिन्न समितियों की कार्यवाही/सफारिशों को जल्द से जल्द परिषद के समक्ष रखा जाए ।

चौ0 वरयाम सिंह बैन्स

माननीय सदस्य चौ0 वरयाम सिंह बैन्स ने कहा कि विश्वविद्यालय में प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के सृजित व खाली पदों की 31 मार्च, 2012 तक की स्थिति तथा 01–01–2013 को क्या स्थिति होगी, इसका विवरण कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाए ।

डॉ0 बी0एल0 बिन्टा

माननीय सदस्य डॉ0 बी0एल0 बिन्टा, प्रधानाचार्य ने कहा कि उनके महाविद्यालय में बी0बी0ए0 की कक्षाएं शुरू की गई हैं उसे सम्बन्द्धता देने के लिए निरीक्षण समिति भेज कर इसका शीघ्रातिशीघ्र निरीक्षण करवाया जाए ताकि विद्यार्थियों को भविष्य में कोई परेशानी न हो ।

अन्त में परिषद ने विभिन्न संगठनों द्वारा सौंपे गये मॉग–पत्रों पर चर्चा की तथा निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के इन संगठनों की उचित मॉगों का परीक्षण कर इन पर यथासम्भ्व कार्यवाही की जाए ।

बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई ।

(सी0पी0 वर्मा)
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

(आचार्य ए0डी0एन0वाजपेयी)
कुलपति/अध्यक्ष